एक प्रति : पांच रुपये

वर्ष 34 16 - 22 अगस्त 2025 अंक 23

समकालीन लोकयुद्ध

भाकपा (माले) का केन्द्रीय हिंदी मुखपत्र

मोदी जी ने आखिरकार भाषणों में भी शतक ठोक दिया! पहले रहे 65, 96, 57, 88, 83, 92, 98, 74, 90, 98... और इस बार 103 मिनट. जब भी रिटायर होंगे, भाषणों का औसत ब्रैडमैन जैसा रहेगा. वैसे कागजी नोट्स छोड़कर टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करें तो औसत और भी बढ़ सकता है. #स्वतंत्रता दिवस

@Dipankar_cpiml

'चुनाव चोर, गद्दी छोड़'

(एसआइआर: दिन-दहाड़े मताधिकार की लूट का नया रिकॉर्ड!

बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का खतरनाक हमला अब अपने दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है. तथाकथित घर-घर गणना के पहले चरण के अंत में, भारत के चुनाव आयोग ने एक मसौदा मतदाता सूची जारी की है, जिसमें जनवरी 2025 की संशोधित सूची से लगभग 66 लाख नाम हटा दिए गए हैं. आयोग ने इन नामों को हटाने के तीन कारण बताए हैं : 36 लाख मतदाता जो कथित तौर पर बिहार से स्थायी रूप से चले गए हैं या 'अपने पते पर नहीं मिले', 22 लाख मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 7 लाख मतदाता जो कहीं और वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़े पूर्ण संख्या में नहीं, बल्कि प्रतिशत के रूप में दिए गए हैं, और आयोग ने हटाए गए नामों की सूची के साथ उनके हटाने का कारण साझा करने से भी इनकार कर दिया है.

इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के बारे में तीन और अहम बातें गौर करने लायक हैं. पहली, गणना के आखिरी कुछ दिनों में हटाए गए नामों की संख्या में अचानक भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. 19 जुलाई को 'अपने पते पर नहीं पाए गए' मतदाताओं की कुल संख्या 41,64,814 (लगभग 41.6 लाख) थी, जो एक सप्ताह बाद बढ़कर 66 लाख हो गई – यानी सात दिन में करीब 25 लाख की बढ़ोतरी.

दूसरी, इस पूरी प्रक्रिया में विदेशी नागरिकता के आधार पर एक भी नाम नहीं हटाया गया. लेकिन गणना के बीच में ही कुछ दिन पहले मीडिया में 'चुनाव आयोग के सूत्रों' के हवाले से खबरें फैलाई गईं कि बिहार की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए विदेशी नागरिक बड़ी तादाद में घुसपैठ कर गए हैं.

तीसरी, अंतिम समय में 'एक से ज्यादा जगह दर्ज/डुप्लीकेट नाम' के मामलों की संख्या अचानक 7.5 लाख से घटकर 7 लाख रह गई. अब खोजी रिपोर्टों में पता चला है कि पश्चिम चंपारण जिले के एक ही विधानसभा क्षेत्र में 'एसआइआर' से 'सुधारी गई' मसौदा सूची में उत्तर प्रदेश से आए पांच हजार संदिग्ध मतदाता शामिल हैं. और फिर बिहार के उप-मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा का सनसनीखेज मामला – जिनका नाम दो जगह दर्ज है, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने एक जगह से नाम हटाने की अपील की थी. अगर बिहार के डिप्टी सीएम तक 'एसआइआर' धोखाधड़ी के शिकार हैं, तो समझा जा सकता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी फर्जी और हास्यास्पद रही है.

फिर भी हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह धोखाधड़ी अभी शुरू हुई है. मान लें कि मृत्यु और डुप्लीकेट नामों के आंकड़े कुछ हद तक सही हैं, तो भी जनवरी 2025 की मतदाता सूची से हटाए गए 66 लाख नामों में से कम-से-कम 40 लाख तो निश्चित तौर पर 'एसआइआर'-धोखाधड़ी के शिकार हैं. उनके लिए 'एसआइआर' का मतलब बन चुका है – "नाम सफाचट अभियान".

अब दस्तावेजों की जांच के दूसरे चरण में, कई लाख और

बिहार एसआइआर : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वक्तव्य

बिहार 'एसआइआर' मामले की 14 अगस्त 2025 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस अड़ियल रवैए को सिरे से खारिज कर दिया, जिस पर वह बिहार में पिछले एक महीने से अड़ा हुआ था. कई दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मजबूर किया है कि वह बिहार में एसआइआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से काटे गए 65 लाख मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक करे. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि हर नाम काटने का विशेष कारण – चाहे वह मौत हो, पलायन हो, या दोहरा पंजीकरण, वगैरह जो भी हो वो साफ-साफ बताना होगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ईपिक-आधारित ढोजने योग्य जिलेवार सूचियां हर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर डाली जाए और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. साथ ही, हर बूथ लेवल ऑफिसर अपने ब्लॉक विकास/पंचायत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर बूथ-वार नाम काटे गए मतदाताओं की सूची लगाए. कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपना दावा आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा कर सकता है.

याद रहे, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामों में साफ साफ कहा था कि काटे गए 65 लाख मतदाताओं की सूची और उनके नाम काटने के कारण को सार्वजनिक करने का कोई सवाल ही नहीं है, और आधार को पहचान पत्र के रूप में मानने से भी इंकार किया था.

आज के इस आदेश ने एसआइआर की कवायद को एक नया मोड़ दे दिया है, लेकिन एसआइआर की वैधता और इतने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने की जांच अभी भी बाकी है कि यह कानूनी था भी या नहीं. साथ ही, यह आदेश गलत तरीके से काटे गए नामों को पूर्ववत बहाल नहीं करता, बल्कि इस गलती को ठीक करने का बोझ उन्हीं मतदाताओं पर डाल देता है.

अब देखना यह है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, वे इतने कम समय में हटाए गए मतदाता मसौदा सूची में अपना नाम फिर से दर्ज करा पाते हैं या नहीं. काटे गए नामों में 35 लाख से ज्यादा मतदाता ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं. चुनाव आयोग के लिए जरूरी है कि बिहार के गरीब प्रवासी मजदूरों को मताधिकार से वंचित करने की अपनी जिद छोड़ दे, जो रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं. मिंटू पासवान जैसे कई लोगों ने 'मृत मतदाताओं' के झूठ का पहले ही पर्दाफाश कर दिया है. अब देखना है कि और कितने मिंटू पासवान सामने आते हैं.

चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकता और न ही एसआइआर जैसी गलत प्रक्रिया के जरिये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कमजोर करने की इजाजत दे सकता है. अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इन गलतियों को ठीक करने के लिए अविलंब कदम उठाते हुए हर बूथ स्तर पर शिकायत निवारण और गलतियों को ठीक करने के शिविर लगाए, ताकि मताधिकार से वंचित किए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने का मौका मिल सके.

– केंद्रीय कमेटी, भाकपा (माले)

मतदाताओं का भविष्य संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के हाथ में है. इस चरण में सामाजिक और राजनीतिक पूर्वाग्रह का शामिल होना आसानी से समझा जा सकता है. इन चुनिंदा नाम हटाने की कार्रवाइयों को शायद महाराष्ट्र के महादेवपुरा जैसे बड़े पैमाने पर 'नए' मतदाताओं को शामिल करके संतुलित किया जाएगा, जहां फर्जी मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया था. अगर 'एसआइआर' (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर रोक नहीं लगी, तो बिहार की मतदाता सूची और भी त्रुटिपूर्ण और पक्षपाती हो जाएगी.

हमारी शुरुआत से ही इस 'एसआइआर' प्रक्रिया में दखल का मकसद इसे जमीनी स्तर पर बेनकाब करना, चुनौती देना और बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने के खतरे के बारे में जागरूकता व सतर्कता पैदा करना रहा है. गणना के फॉर्म जमा करने को अनिवार्य सहायक दस्तावेजों को जमा करने की शर्त से अलग कर देने से कई मतदाताओं को गलतफहमी में झूठी सुरक्षा के अहसास में डाल दिया. साथ ही, संघ-भाजपा का तथाकथित 'घुसपैठियों' के खिलाफ अभियान, जो दरअसल मुसलमानों के खिलाफ छिपा हुआ नफरत भरा अभियान रहा है, ने आम मतदाता के मन में जहर घोलने की कोशिश की. लेकिन अब जब सारा ध्यान उस 'नाम काटने की लटकती तलवार' पर टिक गया है, जिसने पहले ही बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों और बहुजन समुदाय को प्रभावित किया है, तो सांप्रदायिक नैरेटिव का असर ज्यादा नहीं हो पाया.

इस बीच, बिहार में मताधिकार-छीनने के खिलाफ चल रहे अभियान को राहुल गांधी द्वारा महादेवपुरा में हुए बड़े पैमाने के वोट चोरी के भंडाफोड़ से काफी ताकत मिली है. अचानक शुरू किया गया यह 'एसआइआर' (विशेष गहन पुनरीक्षण), जिसने मतदाता सूची के मुद्दे को देशव्यापी नागरिकता रजिस्टर जैसी विवादित योजना से जोड़ दिया है, और जिस अकड़ और हठ के साथ चुनाव आयोग इसे आगे बढ़ा रहा है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी ठुकरा रहा है, उसने जनता के संविधान बचाने और फासीवादी हमले का डटकर मुकाबला करने के संकल्प को और मजबूत कर दिया है. भारतीय गणतंत्र के इतिहास में चुनाव आयोग कभी इतना बदनाम और अविश्वसनीय नहीं रहा.

'एसआइआर' पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जो भी नतीजा निकले, बिहार के मतदाताओं और भारत की जनता को अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ प्रवासी मजदूरों, हाशिए पर मौजूद अन्य तबकों और अल्पसंख्यकों का मताधिकार छीनने और बिहार के चुनाव लूटने की साजिश को नाकाम करना होगा.एकजुट जनता को कभी हराया नहीं जा सकता ■

भाकपा (माले) ने एसआइआर में गलत तरीके से नाम काटे जाने का पहला सबूत पेश किया

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) लिबरेशन, जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआइआर) का विरोध करने में अग्रिम पांत में रही है, ने अब गैरकानूनी तरीके से वोटरों के नाम काटे जाने के प्रथम दृष्टया सबूत, उन कुछ विधानसभा क्षेत्रों से प्रस्तुत किये हैं, जहां उसके कार्यकर्ताओं ने भौतिक सत्यापन किया है.

गौरतलब है कि अपनी सत्यापन की जमीनी कवायद के बीच भाकपा (माले) ने जो पहली दो शिकायतें दर्ज कराई हैं, वो उन गांवों से जुड़ी है, जिनमें यादवों की बहुलता है – उस समुदाय की जो कि राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन का स्रोत माना जाता है. पार्टी ने यह भी पाया कि विभिन्न दलित समुदायों के वोटरों के नाम भी काटे गए हैं.

पार्टी ने जारी एक बयान में एक राजनीतिक कार्यकर्ता और बूथ स्तरीय सहायक (बीएलए) अमित कुमार पासवान द्वारा बिहार के दरभंगा जिले के जिलाधिकारी को लिखी शिकायत को रेखांकित किया.

पासवान ने अपनी शिकायत में दावा किया कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के बांधबस्ती गांव के जिन 59 लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची में काट दिये गए हैं, उनमें से 20 जीवित और इसी गांव में रहते हुए मिले हैं.

पार्टी ने कहा कि 'इस बूथ में कुल 818 मतदाता हैं. इन 818 वोटरों में से मसौदा एसआइआर सूची में 59 नाम काटे गए. धरातल पर मौजूद भाकपा (माले) की टीम ने पाया कि इन 59 में से 20 लोग उसी बूथ में रहते हैं, जिनकी उपस्थिति भौतिक रूप से सत्यापित की गयी है.'

साथ ही पार्टी ने कहा कि ' इस नाम काटे जाने के बारे में आश्चर्यजनक यह है कि दो लोग – मोतीलाल यादव और ध्यानी यादव, जिनका नाम शिकायत पत्र में क्रम संख्या 1 और 10 पर है –उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था और फिर भी वे चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मताधिकार से सामूहिक तौर पर वंचित करने की कार्रवाई का हिस्सा हैं.' पार्टी ने आरोप लगाया कि एसआइआर की सारी कवायद हाशिये के लोगों को मताधिकार से वंचित करना का षड्यंत्र है और पार्टी ने इसे 'वोटबंदी' नाम दिया है.

चुनाव आयोग ने कहा कि एसआइआर की मसौदा सूची से 65 लाख नाम काटे गए हैं, जिसको चुनाव आयोग द्वारा आपत्तियों व प्रतिदावों के बाद सितंबर में संशोधित किया जाएगा.

भाकपा (माले) महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भी ऐसा ही दावा फेसबुक पेज पर की गये पोस्ट में किया, जहां उन्होंने आरा जिले के एक विधानसभा क्षेत्र में मसौदा मतदाता सूची में नाम काटे जाने की पांच शिकायतें पोस्ट की हैं.

पार्टी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक भाकपा (माले) कार्यकर्ता, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के धारायचक नामक एक यादव बहुल गांव में कुछ ऐसे वोटरों से बात कर रहा है, जिनके नाम काट दिये गये हैं. पार्टी का दावा है कि इस गांव के बूथ संख्या 83 और 84 में से 180 वोटरों के नाम काटे गए और इनमें से अधिकांश अपने घरों में ही मिले. पार्टी ने पूछा कि अगर एक गांव में यह हालत है तो पूरे राज्य के 90000 से अधिक बूथों में 'मताधिकार से वंचित किये जाने' की व्यापकता कितनी होगी. 'सामूहिक रूप से मताधिकार से वंचित किया जाना, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है. कई पत्रों और अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग नाम काटे जाने के कारणों को सूचीबद्ध नहीं कर रहा है. यही तौर तरीका बिहार के विभिन्न जिलों में अपनाया जा रहा है. जिले और राज्य के अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद, चुनाव आयोग की प्रेस विज्ञप्तियों में 'शिकायत' वाले कॉलम में यह संख्या दर्ज नहीं हो रही है. यह हमारी इस शंका को बल प्रदान कर रहा है कि चुनाव आयोग सच को दबाना चाहता है और ऐसी तस्वीर पेश करना चाहता है, जिसमें विपक्षी पार्टियों की छवि धूमिल हो', पार्टी ने अपने बयान में कहा.

पार्टी ने यह भी दावा किया कि 'जिनके नाम काट दिये गये हैं, चुनाव आयोग उनपर वो फॉर्म 6 भरने का दबाव डाल रहा है, जो कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए होता है.' भाकपा (माले) लगातार इस मामले को उठा रही है कि जिन लोगों के वोट काट दिये गये हैं, कैसे फॉर्म 6 उन पर थोप दिया जा रहा है और इस तरह शिकायत करने का कोई तरीका ही नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते चुनाव आयोग को अपने रोज की प्रेस विज्ञप्ति में शून्य शिकायत दर्ज होने की बात कहने की सहूलियत मिल जा रही है', पार्टी ने अपने बयान में कहा. पार्टी की मांग है कि चुनाव आयोग 'तत्काल मसौदा मतदाता सूची, सबकी पहुंच के लिए हर पंचायत में प्रदर्शित करे, खास तौर पर काटे गए वोटरों के नाम, जिसमें नाम काटे जाने के कारणों (मृत्यु, स्थायी पलायन, दोहराव, पहुंच से बाहर होना आदि, का ब्यौरा हो.

(द वायर, अंग्रेजी से इन्द्रेश मैखुरी द्वारा अनूदित)

मंटू पासवान के फॉर्म-6 के साथ निर्वाचन पदाधिकारी से मिले भाकपा(माले) नेता

14 अगस्त 2025 को भाकपा(माले) का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिनिधमंडल 194, आरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मृत घोषित कर एसआइआर से बाहर कर दिए गए मिंटू पासवान के फॉर्म-6 के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय पहुंचा, सीईओ महोदय से मुलाकात की और कहा कि पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से यह कम्पलेन दर्ज किया जाए. विदित हो कि यही मिंटू पासवान सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए थे.

पार्टी के राज्य सचिव कुणाल के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि एसआइआर प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य में कुल 65,64,075 मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है. पार्टी स्तर पर तथा अधिकृत बीएलए-2 के माध्यम से विभिन्न स्थलों पर उन नागरिकों के लिए आवेदन जमा किए गए हैं, जिनके नाम अनुचित रूप से मतदाता सूची से हटाए गए हैं. किन्तु, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, चुनाव कार्यालय द्वारा प्रतिदिन जारी किए जा रहे बुलेटिन में यह दर्शाया जा रहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है. इससे जनमानस में एक भ्रामक एवं तथ्यविहीन धारणा बन रही है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है. यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि फॉर्म-6 में बीएलए के लिए हस्ताक्षर या अनुमोदन का कोई कॉलम उपलब्ध नहीं है, जिससे काफी भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

मिंटू पासवान ने अपना फॉर्म-6 सीईओ महोदय को देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह जाकर बीएलओ को ही दें. का. कुणाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया अपारदर्शी है. परिजनों से बिना कोई प्रमाण लिए किसी का नाम काटना अपराध की श्रेणी में आता है. चुनाव आयोग को इसकी जवाबदेही लेनी होगी. ■

'चुनाव चोर, गद्दी छोड़' नारे के साथ धरना-प्रदर्शन

भाकपा (माले) के राष्ट्रीय आह्वान पर 11 अगस्त 2025 को 'चुनाव चोर, गद्दी छोड़' नारे के साथ देशव्यापी धरना–प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित ज्ञापन भेजा गया.

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन व विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में हाल में उजागर किये गए चुनाव घोटाले को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार से इस्तीफे की मांग की.

पार्टी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में 65 लाख मतदाताओं की छंटनी को भी एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा, 'ऐन चुनाव के मौके पर चल रहा एसआइआर गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर कर मताधिकार से वंचित करने की साजिश के रूप में सामने आ रहा है.'

पार्टी ने मुख्य न्यायाधीश से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग को पूरी मतदाता सूची मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले प्रारूप में और चुनाव की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दें. साथ ही, बिहार के एसआइआर में बूथ स्तर पर विशिष्ट आधारों पर हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध कराई जाए. इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट पर हुई चुनावी धोखाधड़ी की जांच कराई जाए और दोषियों को सजा दी जाए.

इन बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 9 से 11 अगस्त तक अभियान चलाया और अंतिम दिन सोमवार को जिला, तहसील व ब्लाक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया. राजधानी लद्दनऊ में परिवर्तन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला. बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और जालौन में भी प्रदर्शन हुए.

10 अगस्त 2025 की शाम 6 बजे झारखंड के बोकारो में मुगमा मोड़ पर प्रतिवाद मार्च आयोजित कर चुनाव आयोग का पुतला दहन किया गया और केंद्र के भाजपा सरकार के ईशारे पर चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश का पर्दाफाश किया गया.

भाकपा(माले) नेता नागेन्द्र कुमार ने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के विशिष्ट गहन पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाया गया है. चुनाव आयोग द्वारा दी गई सूची बता रही है कि नाम हटाने की प्रक्रिया तर्कहीन और अन्यायपूर्ण है. संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्य पेश किये हैं कि कैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनावों में फर्जी मतदाताओं को जोड़कर सूची तैयार की गई और इसके जरिये भाजपा और चुनाव आयोग ने लोकतंत्र की बुनियाद मताधिकार की लूट की.

राजधानी रांची में भाकपा(माले) राज्य सचिव का. मनोज भक्त के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय तक 'वोट चोर, गद्दी छोड़' कार्यक्रम आयोजित हुआ.

9 जनवरी 2025 को जेएनयू छात्रसंघ ने इलेक्शन ऑफिस के बाहर बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट में धांधली को रोकने की मांग के साथ प्रतिवाद मार्च किया. जेएनयू छात्रसंघ के अध्यक्ष नीतीश समेत छात्र संगठन आइसा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेएनयू गेट से ही गिरफ्तार कर लिया और शाम होने तक थाने में बंद रखा. ■

ट्रंप टैरिफ, साम्राज्यवादी मुल्कों से मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन

संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 'कॉर्पोरेट भारत छोड़ो' के नारे के साथ 13 अगस्त 2025 को पूरे देश में आयोजित हुए विरोध दिवस का पालन करते हुए विविध कार्यक्रम आयोजित हुए. इन कार्यक्रमों के जरिये ट्रंप के टैरिफ डंडे और ब्रिटेन से सीइटीए आर्थिक समझौते के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति महोदया के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया.

बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने लगातार वर्षा के बावजूद स्थानीय जीपीओ गोलम्बर से बुद्धा स्मृति पार्क तक मार्च निकाला. मार्च में मजदूर–किसान संगठनों के दर्जनों नेताओं–कार्यकर्ताओं ने शिरकत की. मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया. इस कार्यक्रम में ऐक्टू की ओर से राज्य महासचिव आरएन ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसके शर्मा, राज्य सचिव मुकेश मुक्त, भाकपा–माले के पटना महानगर सचिव जितेंद्र कुमार, एआईकेएम के राज्य सचिव उमेश सिंह, खेाग्रामस के प्रेमराज आनंद आदि शामिल हुए.

समस्तीपुर में स्टेशन चौक पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया और किसान महासभा के जिलाध्यक्ष महावीर पोद्दार की अध्यक्षता में प्रतिरोध सभा आयोजित की गई. वक्ताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाये गये 50% टैरिफ को वापस करने एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लगाम लगाने की मांग की. सभा को किसान महासभा के जिला सचिव ललन कुमार, प्रोफेसर उमेश कुमार, दिलीप कुमार राय, सुरेन्द्र कुमार सिंह मुन्ना, सत्यनारायण सिंह, रामचन्द्र महतो, सुनील कुमार राय, रामकुमार राय, अनिल कुमार चौधरी, उपेन्द्र राय, टिंकू यादव, फूल परी देवी, आरती देवी, रेणु देवी, गुलशन आरा सहित कई लोगों ने सम्बोधित किया. **दरभंगा** में किसान महासभा के बैनर तले ट्रंप –मोदी का पुतला दहन किया गया.

शेखपुरा में अखिल भारतीय किसान महासभा और ऐक्टू के संयुक्त बैनर से शहर के पटेल चौक से विरोध मार्च निकाला गया और समाहरणालय के गेट पर पहुंच कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया. कार्यक्रम में मौजूद भाकपा(माले) के जिला सचिव विजय कमुार विजय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के संप्रभुता का बिना ध्यान रखे साम्राज्यवादी देशों के सामने घुटने टेक दिया है. अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सचिव कमलेश मानव ने कहा कि देश के सार्वजनिक संपत्तियों को पूंजीपतियों के हवाले करने वाले मोदी कृषि को भी कॉरपोरेटों के हाथ सौंप देना चाहते हैं. उन्होंने अरियरी प्रखड के दर्जनों गांवों के खेतों की सिंचाई के लिए किड़िहारी नदी में कचना पुल के पास छिलका और जिलवारिया गांव के पास नहर में सायफन बनवाने की मांग की. श्रमिक संगठन ऐक्टू के जिला संयोजक कमलेश प्रसाद ने कहा कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज वसूली के बहाने महिलाओं को परेशान किया जा रहा है. माइक्रोफाइनेंस की जाल में फंसी महिलाओं का कर्ज अविलंब माफ किया जाना चाहिए और श्रमिक विरोधी चार श्रम कोड वापस लिये जाने चाहिए.

सैकड़ों की संख्या में उपस्थित किसान–मजदूरों की सभा को किसान नेता रामकृपाल सिंह, विशेश्वर महतो, प्रवीण सिंह कुशवाहा, शिवनंदन यादव, रिक्की खान, राजेंद्र पासवान, जितेंद्र मांझी ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम में ऐपवा नेत्री तेतरी देवी, गौरी देवी, बाबूलाल महतो, शिव रविदास, नरेश रविदास, नरेश महतो सहित कई लोग शामिल रहे.

बेतिया में समाहरणालय के समक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान ट्रंप-मोदी का पुतला दहन कर अमेरिकी साम्राज्यवाद और भारतीय सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज किया गया.

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने कहा कि साम्राज्यवादी मुल्कों से मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना तुरंत बंद किया जाए, अमेरिका भारत पर एफटीए के लिए दबाव बनाना बंद करे, व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सीईटीए को रद्द किया जाए, अमेरिका भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ तत्काल वापस ले और साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर बढ़ता नियंत्रण खत्म किया जाए.

किसान महासभा जिला नेता विनोद यादव, संजय यादव, सुरेन्द्र चौधरी, अरूण तिवारी, विनोद कुशवाहा, रामचन्द्र यादव, ठाकुर पटेल, प्रकाश मांझी, जितेंद्र राम, फरहान राजा, सुरेश दुबे, केदार राम, वीरेंद्र पासवान, भरत शर्मा, सोने लाल पासवान, मंगल चौधरी, जंगाली माझी, हाकिम अंसारी, नन्दकिशोर शर्मा सहित प्रदर्शन में मौजूद लोगों ने 'किसान-मजदूर एकता जिंदाबाद','एफटीए रद्द करो','भारत की संप्रभुता बचाओ' जैसे नारों से समाहरणालय परिसर को गुंजायमान कर दिया.

जहानाबाद में विरोध प्रदर्शन के बाद आयोजित सभा को अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय नेता रामाधार सिंह, खेत ग्रामीण मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र रविदास, सकलदेव यादव, बिहार राज्य किसान सभा के नेताओं – जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, कल्लू यादव एवं शंकर दास, खेत ग्रामीण मजदूर सभा के नेता रणधीर यादव, भाकपा नेता रफीक आलम, ओमप्रकाश और मिथिलेश कुमार, किसान नेता राम प्रसाद, खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष राजाराम मांझी, खेत मजदूर मोर्चा के अरविंद कुमार, अवधेश पांडे, हसनैन अंसारी आदि नेताओं ने संबोधित किया. ट्रंप व मोदी का पुतला दहन करने और क्यूबा के पूर्व प्रधानमंत्री समाजवादी नेता फिदेल कास्त्रो को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया.

वैशाली जिले के लालगंज में 'बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो' और 'कारपोरेट घरानों भारत छोड़ो' के नारे के साथ पुराना पोस्ट ऑफिस चौक से तीन पुलवा चौक तक सैकड़ों महिला-पुरुष किसान कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया.

नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला सह सचिव राम पारस भारती, राज्य पार्षद प्रेमा देवी, भिखारी प्रसाद सिंह, बबलू अंबेडकर, शिव कालो देवी, हरिंदर राम, विजय ठाकुर, मो. रुस्तम, रामेश्वर राम, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के नेता राजेंद्र शर्मा, त्रिभुवन राय आदि ने संबोधित किया.

भोजपुर जिले के तीन प्रखंडों में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेताओं के द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ 'बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो', 'भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ वापस लो' आदि नारों के साथ प्रतिवाद मार्च निकाला गया और ट्रंप-मोदी का पुतला दहन किया गया,

पीरो प्रखंड के कार्यालय से जुलूस निकालकर बाजार होते हुए लोहिया चौक पर किसान महासभा के जिला सचिव चंद्रदीप सिंह के नेतृत्व में डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया गया और सभा का आयोजन किया गया.

अगियांव प्रखंड के पवना बाजार पर किसान नेता भोला यादव के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया और जगदीशपुर में किसान नेता विनोद कुशवाहा के नेतृत्व में भाकपा(माले) कार्यालय से बाजार होते हुए कुंवर सिंह हाता तक जुलूस निकाला गया और ट्रंप का पुतला दहन करने के बाद नुक्कड़ सभा आयोजित की गई. दिनभर रुक-रुक कर बारिश होने के बावजूद हर जगह लोगों की अच्छी उपस्थिति रही.

नवादा में संयुक्त किसान मोर्चा एवं खेत मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित कर ट्रंप-मोदी का पुतला दहन किया गया. **भागलपुर** में किसान-मजदूर संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर स्थानीय घंटाघर चौक पर किसान संगठनों – एआईकेएम, एआईकेएस व बीआरकेएस का संयुक्त विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ. मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के पीएम मोदी का पुतला भी फूंका गया.

राजस्थान के सलूंबर में अखिल भारतीय किसान महासभा और राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन ने प्रतिरोध सभा कर कलेक्टर के माध्यम से ट्रंप के टैरिफ डंडे और ब्रिटेन से सीइटीए आर्थिक समझौते के खिलाफ राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा.

अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष व भाकपा(माले) राज्य कमेटी सदस्य का. गौतम लाल मीणा ने कहा कि भारत के किसानों और मजदूरों पर कारपोरेट हमले किए जा रहे हैं. पूरे देश का किसान और मजदूर इसका प्रतिरोध कर रहा है. भारत सरकार ने कारपोरेट के संरक्षण के लिए 44 मजदूर कानूनों को चार संहिताओं में बदल दिया. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ किए गए व्यापार आर्थिक समझौते की समीक्षा की जाए. अमेरिका के द्वारा भारत पर बेतहाशा टैरिफ (कुल 50%) टैरिफ लगा दिया गया है तथा और भी कई तरह की पाबंदियां लगाने की धमकी दी जा रही है. यह सब क्यों? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है व भारत अपना कृषि और डेयरी बाजार भी अमेरिका की लिए नहीं खोल रहा है. भारत सरकार अमेरिकी टैरिफ धमकी को सीधे तौर पर ठुकराये.

ऐक्टू जिला अध्यक्ष शंकर लाल मीणा ने कहा कि ब्रिटेन के साथ किए गए व्यापार आर्थिक समझौते को खत्म किया जाए. हाल ही में भारत व ब्रिटेन के बीच हुई ट्रीटी को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा व आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला माना जा रहा है. इस समझौते की तत्काल समीक्षा की जाए और इसे रोका जाए.

सरवणी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल मीणा ने कहा कि किसान-मजदूरों का मानना है कि कोई भी ऐसा व्यापार समझौता नहीं होना चाहिए जो किसानों और मजदूरों को नुकसान पहुंचा सकता हो. भारत को सभी देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें रूस के साथ व्यापार भी शामिल है.

किसानों ने कहा कि भविष्य के सभी समझौते संसद की निगरानी में होने चाहिए, न कि गुप्त प्रक्रिया के द्वारा. उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि आज भारत की संप्रभुता, स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में है और इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ना होगा.

प्रभु लाल मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल मीणा, लिम्बाराम, लोकेश पाया तालाब, जबीउल्लाह, जुबेर भाई सलूंबर, नानजी मीणा, धनराज भणोर, भीमराज, रामलाल, रतन भाई पाल सराड़ा व अन्य भाकपा(माले) नेताओं ने प्रतिरोध सभा को संबोधित किया व एक प्रतिनिधिमंडल के बतौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

लखीमपुर खीरी के निघासन और पलिया में अखिल भारतीय किसान महासभा और किसान यूनियन टिकैत ने जलूस निकलकर ज्ञापन सौंपा. मथुरा में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने मार्च व प्रदर्शन कर जिलाधिकारी मथुरा के जरिए राष्ट्रपति के नाम 12-सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में अमेरिका और इंग्लैंड से हो रहे मुक्त व्यापार को रद्द कर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाये गये 50% टैरिफ को वापिस लेने, सीटू +50% फार्मूले पर सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने, विजली के निजीकरण व स्मार्ट मीटर पर रोक लगाकर 300 यूनिट विजली फ्री देने, दस हजार रूपये सरकारी पेंशन देने, समग्र कर्ज माफी कर माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों जारी उत्पीड़न पर रोक लगाने, यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बंदी पर रोक लगाने, पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा पर रोक लगाने, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीव मतदाताओं को सूची से वाहर करने पर तत्काल रोक लगाने, आदि मांगें शामिल थी

मार्च व प्रदर्शन में भाकपा (माले)के राज्य स्थायी समिति सदस्य एडवोकेट नशीर शाह, किसान महासभा के राज्य उपाध्यक्ष नत्थी लाल पाठक, जिला अध्यक्ष डॉ. एलएन सिंह, वरिष्ठ किसान नेता बृहम सिंह, क्षेत्रपाल सिंह, विजय सिंह, मोहन लाल सैनी, एडवोकेट वीसी अग्रवाल, एडवोकेट नईम शाह, एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, एडवोकेट अमन शाह, विवेक रियार आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कोडरमा जिला समाहरणालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सभा की गई.

तरहसी में 'कॉरपोरेट भारत छोड़ो' नारे के साथ ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने व भारत के संप्रभुता पर हमले के विरोध में ट्रंप व मोदी का पुतला दहन करने के बाद सभा हुई.

देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही कार्यक्रम हुए. ■

धराली हादसा
पारिस्थितिकीय तंत्र पर हमले का प्रकृति द्वारा लिया गया बदला

पुरुषोत्तम शर्मा

10 दिनों बाद शुरू होगा धराली में दबी लाशें निकालने का काम

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी स्थित धराली में तबाही को हुए अब 6 दिन बीत गए हैं पर अभी भी धराली में आए 20 से 50 फीट ऊंचे मलवे के नीचे दबे लोगों के शवों और वाहनों को निकालने का काम शुरू ही नहीं हो पाया है. स्मार्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्मार्ट सरकार और उसका आपदा विभाग रेस्क्यू किए जिन लोगों की संख्या गिना रहा है, उनमें धराली हादसे से वहां बचे कुछ ही लोग हैं. इनमें बड़ी संख्या पूरी हर्षिल घाटी व जिले भर से रेस्क्यू किए गए लोगों की है. रिपोर्ट के अनुसार धरालीमें हादसे वाले दिन हर्षिल से गंगोत्री तक स्थानीय आबादी के अलावा करीब 500 से ज्यादा पर्यटक भी मौजूद थे. मौसम ठीक होने के बाद शुरूआती दो दिन में सेना और एनडीआरएफ ने वहां फंसे हुए जिन 307 पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला इनमें 131 गुजरात, 123 महाराष्ट्र, 21 मध्य प्रदेश, 12 उत्तर प्रदेश, 6 राजस्थान, 28 केरल, 5 कर्नाटक व 3 तेलंगाना के हैं. मिल रही रिपोर्टों के अनुसार रेस्क्यू कार्य में लगे मात्र 3 हेलीकाप्टर जगह-जगह फंसे पर्यटकों, महिलाओं, बच्चों व बूढों को ही रेस्क्यू कर रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हेलीपैड पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, पर पर्यटकों के लिए असीमित हेली सेवा दिलाने वाली राज्य सरकार ने रेस्क्यू के लिए हेलीकाप्टरों की पर्याप्त व्यवस्था अभी भी नहीं की है. रेस्क्यू के लिए प्रशासन द्वारा हेली सेवा लेने से मना किये जाने के बाद गंगोत्री क्षेत्र में फंसे पहाड़ के नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डाल कर खुद ही पैदल आगे बढ़ना पड़ रहा है.

2013 की केदारनाथ आपदा की तरह धराली आपदा के मृतकों का सही आंकड़ा कभी भी सामने नहीं आ पाएगा. अभी मिल रही प्राथमिक जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के 31 पर्यटकों का कोई पता नहीं चल रहा है. मजदूरी के लिए बिहार के बेतिया से आकर धराली में ठहरे 45 मजदूरों की तलाश में उनके परिजन धराली की ओर पैदल जा रहे हैं क्योंकि हादसे के बाद उनका किसी से भी सम्पर्क नहीं हो पा रहा है. एनडीटीवी के रविश रंजन की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल से अपनों की तलाश में धराली आए लोगों के अनुसार उनके एक गांव के 25 लोग घटना के दिन धराली में ही काम कर रहे थे. अब उनका कोई पता नहीं चल रहा है. संभल और सहारनपुर के लोग धराली में कार्यरत अपने 3-3 लोगों की तलाश के लिए पैदल धराली की ओर बढ़ रहे हैं. उनके अलावा कई और पर्यटक, नेपाल और बिहार के अन्य क्षेत्रों के मजदूर, वाहन चालक आदि बाहरी लोग भी हादसे के वक्त वहां मौजूद हो सकते हैं. एक होटल मालिक दुर्गेश पवार ने एनडीटीवी को बताया कि धराली में 60-70 होटल, कई दुकानें और 50-60 घर थे. इनमें भी अनुमानत: 2 व्यक्ति प्रति होटल या घर में रहे होंगे तो उनकी संख्या भी 250 से कम नहीं होगी. धराली से कुछ दूर मुखबा में जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने पहाड़ में "घाम तापो पर्यटन" (धूप सेंको पर्यटन) की घोषणा की थी, स्थित सेना के केम्प से भी 11 जवानों के बहने की सूचना है, जबकि राज्य सरकार अभी भी मात्र 5 मृतक और 50-60 लापता लोगों का ही आंकड़ा जारी कर रही है.

मीडिया से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार धराली में अभी सिर्फ तीन जेसीबी मशीनें ही राहत कार्य में लगी हैं, जो धराली में लाशें खोजने के बजाए रास्ता बनाने के प्राथमिक कार्य में लगी हैं. प्रशासन के अनुसार थर्मल सेंसिंग उपकरण, हाइटेक और बड़ी मशीनों को वहां पहुंचने में कम से कम चार दिन और लग सकते हैं. ये अभी 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में खड़े हैं. भटवाड़ी से हर्षिल के बीच तीन जगह भू-धसाव और एक जगह पुल टूटा है. ऐसे ही हर्षिल से धराली के बीच चार जगह पर लगभग 150 मीटर सड़क खत्म हो चुकी है. जब तक भटवाड़ी से धराली तक नए सिरे से सड़क और टूटा पुल नहीं बन जाता, तब तक मलवे के नीचे दबी लाशों को निकालने का काम शुरू ही नहीं हो पाएगा. यानी घटना के 10 दिन बाद ही लाशों को खोजने का काम शुरू हो पाएगा. जिन थर्मल सेंसिंग उपकरणों के जरिये मलवे में दबी लाशों का पता लगाया जाएगा, उनकी क्षमता भी जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक ही वस्तुओं की पहचान करने की है. ऐसे में 30 से 50 फीट नीचे मलवे में दबे और मलवे के साथ उफनती भागीरथी में बह गए अनगिनत शवों का भविष्य में भी कभी कोई पता नहीं चल पाएगा. भूगर्भ विज्ञानी प्रोफेसर एसपी सती बताते हैं कि 1835 में खीर गंगा में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, तब नदी ने आज के सारे धराली कस्बे के क्षेत्र को पाट दिया था. प्रोफेसर सती कहते हैं कि जो कोई भी हिमालयी क्षेत्र का जानकार मुखबा से धराली की फोटो लेता था, उसे नजर आ जाता था कि यह सब एक दिन बह जाएगा. यह तो अवश्यंभावी था. यह आज नहीं जाता तो कल जाता, लेकिन इसे जाना ही था.

अति संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र से छेड़छाड़ का नतीजा

भारी मलवे में विलीन हो चुका धराली आज की ही तरह पूर्व में खीर गंगा से आए परत दर परत जमे मलवे पर ही बसा है. यह क्षेत्र मानव बस्ती और होटल रिजॉर्ट के लिए कहीं से भी सुरक्षित नहीं है. पहाड़ के हमारे पूर्वजों ने कहीं भी ऐसी जगह बस्तियां नहीं बसाई थी. मूल धराली गांव भी इस जगह के बजाय ऊंचाई वाली अपनी जमीन पर था. धराली और ऐसी ही संवेदनशील आबादियों के लिए गंभीर खतरे की चेतावनियां हमारे भू-वैज्ञानिक और हिमालय की संवेदनशीलता को जानने वाले लोग हमारी सरकारों और उनके योजनाकारों को देते रहे हैं. पर हमारी सरकारों ने उन चेतावनियों को अनदेखा कर विकास के नाम पर हिमालय और हिमालय वासियों पर ऐसी योजनाओं को थोपा, जोकेदारनाथ से लेकर अब धराली तक अपनी तबाही के जख्म छोड़ चुका है. पहाड़ के लोगों ने हजारों वर्षों से न सिर्फ वनों को लगाया और उनकी रक्षा की बल्कि यहां के इको सिस्टम को समझते हुए अपने रहन-सहन और आजीविका के साधनों का विकास किया. पहाड़ के पुराने बसे गांवों की बनावट को अगर देखें तो हर गांव में ऊपर जंगल, जंगल के नीचे आबादी, आबादी के नीचे खेती, खेती के नीचे नदी. यानी किसी भी गांव की आबादी नदी से सटी नहीं है. क्यूंकि अपने हजारों वर्षों के अनुभव से उन्होंने नदी तट को आबादी के लिए सुरक्षित नहीं माना था. पहाड़ के गांवों में कहावत है कि नदी बारह वर्ष में अपनी पुरानी जगह पर आ जाती है. नदी को लेकर पहाड़ के ग्रामीणों के इस परम्परागत ज्ञान को वर्तमान आपदाओं ने पूरी तरह सही साबित कर दिखाया है.

हिमालय से सटा उत्तराखंड का गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का पूरा क्षेत्र गंगा का जल संभरण क्षेत्र होने के कारण प्राकृतिक और पारिस्थितिक रूप से अति संवेदनशील क्षेत्र है. यह पूरा क्षेत्र उत्तराखड के निवासी पूर्वजों द्वारा संरक्षित जैव विविधता के मामले में अद्वितीय है. इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र की संवेदनशीलता के कारण ही यहां कई राष्ट्रीय पार्क और ईको सेंसेटिव जोन स्थापित किए गए गए हैं. इनमें भागीरथी के जल संभरण क्षेत्र में 'भागीरथी इको-सेंसेटिव जोन' गंगोत्री से उत्तरकाशी शहर के बीच 4,157 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू है. साथ ही 'गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान' (619.70 वर्ग किलोमीटर का) इको-सेंसिटिव जोन घोषित है. यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल 'नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान' (630.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में) अलकनंदा का जल संभरण क्षेत्र है. इसी तरह 'केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण' भी 975.20 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है. ईको सेंसेटिव जोन की घोषणा का उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता और संवेदनशील पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों मेंवहां के निवासियों द्वारा की जा रही कृषि को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना होता है. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 की धारा 3 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इको सेंसेटिव जोन को अधिसूचित किया जाता है. अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से हमने सरकार से मांग की थी कि ईको सेंसेटिव जोन की परिधि में आने वाले परम्परागत निवासियों को उनके आवास निर्माण और परम्परागत आजीविका के क्षेत्र में प्रतिबंधों से छूट मिलनी चाहिए.

गंगोत्री के हर्षिल और धराली में आज आई आपदा वर्ष 2012 में घोषित 'भागीरथी इको-सेंसेटिव जोन' में ही आती है. परन्तु भाजपा की केंद्र और उत्तराखंड सरकारों ने कारपोरेट मुनाफे के लिए उत्तराखंड के इस अति संवेदनशील क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं. इसके लिए पर्यटन प्रदेश और भारी भरकम चार धाम परियोजना का हमला इस क्षेत्र पर बोल दिया गया है. चारधाम यात्रा को सुगम बनाने और चीन सीमा

तक पहुंच बनाने के नाम पर यहो सड़कों का चौड़ीकरण, लम्बी सुरंगों का निर्माण और पर्यटकों की सुविधा के लिए बड़े होटल और रिजॉर्ट के निर्माण की छूट केंद्र की मोदी सरकार ने दे दी. प्रधान मंत्री मोदी ने बड़े जोर-शोर से चार धाम के लिए जिस बारह माह चलने वाली "आल वेदर रोड" की घोषणा की थी, वह पहाड़ों की तबाही के रूप में सामने आ चुकी है. आज धराली हादसे के 10 दिन बाद तक वहां दबी लाशों की खोज का इंतजार हमें प्रधान मंत्री मोदी की आल वेदर रोड के कारण ही करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों के चौड़ीकरण ने इन कच्चे पहाड़ों को अगले बीस वर्षों के लिए अस्थिर कर दिया है. जब तक कि सड़क चौड़ीकरण में कटे पहाड़ों के ऊपर से भारी मलवा गिरने बाद पहाड़ों की ढाल स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक ऊपर से पहाड़ खिसकते रहेंगे और नीचे भारी मलवे से भरी नदियां सड़क काटती रहेंगी. प्रकृति द्वारा उसपर मानव हमले का बदला लिए जाने के इस अभियान को अब कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है.

प्राकृतिक आपदाओं में लापता और नेपाली मजदूरों को मुआवजा नहीं

प्राकृतिक आपदाओं या अन्य घटनाओं में मृतक लोगों की जब तक लाश नहीं मिल जाती तब तक सरकार उन्हें मृत घोषित नहीं करती है तथा उनके परिजनों को मुआवजा भी नहीं देती है. इसीलिए सरकार द्वारा हर घटना के बाद मौतों को छुपाने का खेल शुरू हो जाता है. इसमें सबसे दु:खद बात है कि नेपाल के मजदूर जो लाखों की संख्या में भारत और खासकर उत्तराखंड में जोखिम भरा काम करते हैं, दुर्घटना का शिकार होने पर राज्य और केंद्र सरकार उन्हें कोई मुआवजा नहीं देती है. धराली आपदा में भी कम से कम 25 नेपाली मजदूरों के दब कर मरने की खबर है. पौड़ी जिले के चौथान पट्टी स्थित बांकुड़ा गांव में भी बादल फटने से उफनते गधेरे में 5 नेपाली मजदूर बह गए हैं. भाकपा(माले) नेता और जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेता अतुल सती ने बताया कि विष्णुगाड़ परियोजना की तबाही में मरे नेपाल निवासी मजदूरों की पूरी लिस्ट होने के बाद भी राज्य या केंद्र सरकार और परियोजना संचालन करने वाली कम्पनी ने उनके परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया. भारत की जीडीपी में योगदान करने वाले नेपाल के मेहनती मजदूरों के प्रति भारत सरकार का यह रुख निंदनीय और मानवता विरोधी है. इस मुद्दे पर दोनों देशों को मजदूरों के हित में ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

इधर धराली हादसे की जमीनी स्थिति की रिपोर्टिंग करने जा रहे बारहमासा के पत्रकार राहुल कोटियाल, वरिष्ठ पत्रकार हृदयेश जोशी, इण्डिया टुडे की पत्रकार अनामिका सहित कई जनपक्षीय पत्रकारों को धराली पहुंचने वाले पुल से सुरक्षा कर्मियों ने नहीं जाने दिया. उनसे कहा गया कि यहां से सिर्फ स्थानीय लोगों को ही आगे जाने देने के आदेश ऊपर से आए हैं. इस कारण उन्हें अपनी पूरी टीमों के साथ लगभग तीन घंटे की अतिरिक्त उतार व फिर चढ़ाई का कठिन और जोखिम भरा पहाड़ी सफर कर आगे बढ़ना पड़ा. ■

डबल ईंजन सरकारों ने धराली हादसा में मृतक प्रवासी बिहारी मजदूरों की अभी तक कोई सुध नहीं ली है

धराली हादसा में अब तक 11 प्रवासी बिहारी मजदूरों के लापता होने की पुष्टि हुई है. वे सभी पश्चिम चंपारण जिले के निवासी हैं. सिकटा के भाकपा(माले) विधायक का. वीरेन्द्र गुप्ता ने 10 अगस्त 2025 को मोगलहिया गांव पहुचे जहां के कुल सात लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं. उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और और हर तरह की मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया.

सिकटा प्रखंड स्थित यह मोगलहिया गांव (पंचायत-सुनरगांवा, थाना – गोपालपुर) दलित-पिछड़ा बहुल गांव है. इस गांव की बड़ी आबादी भूमिहीन है और ज्यादातर लोग मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं. पूरे चंपारण जिले में जेा दैनिक मजदूरी है वह वह अब भी बहुत कम है., अतीत में तो वह और भी कम रही है. लोग अच्दी मजदूरी की चाहत में भरी तादाद में पलायन करते हैं.

इनमें से तीन लोग एक ही परिवार के हैं. ये हैं – देवराज शर्मा (उम्र-53 वर्ष, पिता का नाम - दु:खी शर्मा) और उनके दो बेटे अनिल कुमार (उम्र-22 वर्ष) और सुशील कुमार (उम्र-19 वर्ष). ये सभी बढ़ई मजूर थे जो सात सौ रूपये दैनिक मजदूरी पर इसी जिले के चनपटिया प्रखंड मोहद्दी सुगार गांव के रहने वाले ठेकेदार लालबाबू शर्मा के मातहत काम कर रहे थे. बड़े बेटे अनिल कुमार की अगले साल मार्च महीने में शादी होनेवाली थी. अब परिवार में देवराज शर्मा के तीन छोटे बच्चे और उनकी मां है.

उनके भतीजे अखिलेश शर्मा ने बताया कि एक झरने के किनारे इन लोगों का डेरा था. खैरटिया गांव (प्रखंड लौरिया, पश्चिम चंपारण) के निवासी श्याम शर्मा और नेपाल के निवासी आनंद शर्मा भी उन्हीं के साथ रहते थे. यह संयोग ही था कि जब यह हादसा हुआ वे लोग काम पर निकल चुके थे. हादसे की खबर परिजनों को उनके ही जरिए ही मिली.

मोगलहिया गांव के ही रहनेवाले संदीप साह (19 वर्ष,

पिता का नाम – इंद्रजीत साह) एक निर्माण मजदूर थे. वे साढ़े पांच सौ रूपये की दैनिक मजदूरी पर काम करते थे. वे अपने मां-बाप की इकलौती संतान थे और रोजगार की तलाश में करीब डेढ़ महीने पहले ही वहां गये थे.

संदीप मुखिया (19 वर्ष, पिता का नाम – हरिलाल मुखिया) भी निर्माण मजदूर थे और वे भी डेढ़ महीना पहले ही वहां पहुंचे थे. गुड्डू दास (24 वर्ष, पिता का नाम - रीपिट दास) भी इसी तरह से वहां पहुंचे थे.

राकेश कुमार (22 वर्ष, पिता का नाम – परशुराम ठाकुर) विवाहित थे. उनकी पत्नी का नाम है ममता देवी. वे डेढ़ साल की एक बच्ची के पिता भी हैं.

बृजेश यादव (23 वर्ष, पिता का नाम – रामाश्रय यादव) के भी दो बच्चे हैं. बेटे खेसारी की उम्र 2 वर्ष और बेटी जूही की 1 वर्ष है. उनकी पत्नी का नाम प्रतिमा देवी है.

इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले नरेश शर्मा (49 वर्ष, पिता का नाम – दिवंगत चचंल शर्मा) इसी जिले के घोघा घाट, चनपटिया प्रखंड के रहने वाले थे. वे इसी साल फरवरी महीने में वहां गए थे. वे पांच बच्चों (2 बेटों, 3 बेटियों) के पिता भी हैं.

ब्रजेश यादव के भाई लालबाबू यादव, नरेश शर्मा के भतीजा धर्मेन्द्र शर्मा, गुड्डू दास के चाचा मंजय दास, संदीप मुखिया के भाई प्रदीप मुखिया और देवराज शर्मा के भतीजे अखिलेश शर्मा ने बताया कि इतने दिनों बाद भी इन लोगों का न मिलने या घरवालों से संपर्क न साधने के बाद भी क्या इस बात में संदेह है कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं? ये सभी लोग मलबे के नीचे दब कर अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों के पास घर की जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं थी और वे मेहनत-मजूरी कर ही अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके असामयिक मुत्यु से उनकी पत्नी और बच्चों का जीवन अंधेरे में डूब गया है. उतराखंड

व बिहार – दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी उसकी ही सरकार है. इन डबल ईंजन सरकारों अभी तक उनके परिजनों की कोई सुध क्यों नहीं ली है?

5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड सरकार ने जो सूची बनाई है उसमें ये सब अभी भी लापता के बतौर ही दर्ज हैं. इस सूची में पश्चिम चंपारण जिले के ही रामधार कुशवाहा (पिता का नाम – किशुन कुशवाहा) और कृष्णा राम (पिता का नाम – मुदल राम) के नाम भी दर्ज हैं. ■

विश्व आदिवासी दिवस (9 अगस्त) पर कार्यक्रम आयोजित

9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भाकपा(माले) और आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने झारखंड में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए और दिशोम गुरू शिबू सोरेन जिनका 4 अगस्त को निधन हो गया, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की.

गावां प्रखंड अंतर्गत जमडार पंचायत के कारीपहड़ी में इस मौके पर सभा आयोजित हुई जिसकी शुरूआत गुरू शिबु सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई. सभा में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे. सभा की अध्यक्षता संतोष मरांडी और संचालन सुरेश मुर्मू ने किया. भाकपा(माले) जिला कमिटी सदस्य नागेश्वर यादव एवं प्रखंड सचिव सकलदेव यादव भी इस मौके पर मौजूद थे.

सभा को संबोधित करते हुए का. राजकुमार यादव ने कहा कि हर साल 9 अगस्त को बड़े हर्ष व उल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चले जाने से उसमें गहरे शोक का रंग घुल गया है. हमें इस शोक को संकल्प में बदल डालना है. गुरुजी शिबू सोरेन ने आदिवासियों के जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं को लेकर – जल, जंगल व जमीन पर अपने अधिकार; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व विकास में हिस्सेदारी की मांग तथा उनके साथ हो रहे हर जुल्म–अत्याचार के खिलाफ मुखर आवाज उठायी थी और आज भी इसी रूप में जाने जाते हैं. आज अंबानी, अडानी और अन्य कारपोरेट ताकतों द्वारा आदिवासियों व दलितों की जमीन छीनी जा रही है. केंद्र में बैठी भाजपा सरकार न केवल इस पर चुप्पी साधे हुए है, बल्कि इसी को बढ़ावा दे रही है. हमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन के विचारों पर चलते हुए इसके खिलाफ संघर्षों को तेज करना होगा और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

इस सभा में विकास ठाकुर, बैजू मरांडी, तालो मरांडी, विकास शर्मा, मनोज सोरेन, सुरेंद्र हेंब्रम, संतोष बेसरा, राहुल हांसदा, बुधन मांझी, हुसैन मरांडी, मोती मरांडी, दिनेश यादव, पंचायत समिति सदस्य अशोक यादव,नारायण यादव,लद्दन मंडल,दिनेश यादव, प्रदीप यादव, अनिल यादव, संजय यादव, हेमराज दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे.

अरगड्डा टोंगी क्लब में कार्यकर्ता कन्वेंशन

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने अरगड्डा टोंगी क्लब में रामगढ़–हजारीबाग जिले का संयुक्त कार्यकर्ता कन्वेंशन आयोजित किया.

सोहराय किस्कू, लालचंद बेदिया, सुभाष बेदिया, नरेश बड़ाईक, परिवार मरांडी, सरयू बेदिया, मानाराम मांझी और रस्का मांझी के आठ सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की और भाकपा(माले) केंद्रीय कमेटी के सदस्य आरडी मांझी, आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक देवकीनंदन बेदिया और भाकपा(माले) के हजारीबाग जिला सचिव का. पाचु राणा ने इसे अतिथि के बतौर सांबोधित किया. इस कन्वेंशन में रामगढ़, डाडी, मांडू, पतरातू और गोला से नागेश्वर मुंडा, नीता बेदिया, शंकर मुंडा, सोहन बेदिया, बंशी बेदिया आदि समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की.

सर्वप्रथम दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद आरडी मांझी ने उद्घाटन वक्तव्य दिया और सुभाष बेदिया ने कन्वेंशन का विषय प्रवेश का पाठ किया. पाचु राणा, भुवनेश्वर बेदिया, नरेश बड़ाईक, नीता बेदिया, गोपाल बेदिया और देवकीनंदन बेदिया ने मुख्य रूप से कन्वेंशन को संबोधित किया.

नेताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस महज रस्म अदायगी नहीं है बल्कि आदिवासियों के ऊपर हो रहे हमलो के खिलाफ और आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा के अनवरत और समझौताहीन संघर्ष करने का संकल्प है.

कन्वेंशन से आदिवासी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों पर 11 अगस्त को रांची प्रदर्शन में प्रदर्शन, 14 अगस्त को प्रखंडों में धरना तथा 29 अगस्त को राज्यपाल के समक्ष प्रदर्शन करने के प्रस्ताव लिए गए.

कन्वेंशन के माध्यम से आदिवासी संघर्ष मोर्चा ने सरकार के समक्ष निम्न मांगों को रखा है –

1. नक्सल के नाम पर आदिवासियों पर जारी हमले पर अविलंब रोक लगे.

2. विश्व के मूलनिवासियों के अंतराष्ट्रीय दिवस (9 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस) को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए.

3. संविधान में अनुसूचित जनजाति के जगह पर आदिवासी शब्द पुनर्स्थापितकिया जाए.

4. पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी बहुल राज्यों, जिलों, प्रखंडों व पंचायतों को शिडयूल्ड एरिया में शामिल किया जाए.

5. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 (पेसा) के प्रावधानों को सुदृढ़ करते हुए उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

6. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू किया जाए.

7. आदिवासियों की धार्मिक मान्यता के आधार के आधार सरना धर्म कोड लागू किया जाए.

8. मनरेगा आदिवासियों के लिए जीवन रेखा और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है. 2024 की तुलना 2025 के केन्द्रीय वजट में 19.297 करोड़ रुपए कम है. इसलिए मनरेगा में केन्द्रीय वजट बढ़ाते हुए दैनिक मजदूरी 600 रुपए और 200 दिन काम की गारंटी हो.

9. अदिवासियों की अपनी गांव व क्षेत्र से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन को रोकने के लिए गांव में ही उनकी आजीविका सुनिश्चित की जाए.

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम, 1989 को सख्ती से लागू किया जाए.

11. झारखंड में सीएनटी, एसटीपीटी ऐक्ट व विलकिल्सन रुल को सख्ती से लागू किया जाए. लातेहार

बगोदर के तिसरी प्रखंड के छतरमार गांव के खेल मैदान मे कार्यक्रम आयोजित कर इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया. कार्यक्रम में आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नेता जागो मरांडी और मनोज सोरेन सहित सैकडों आदिवासी युवक व युवतियां उपस्थित हुए. ■

बिहार में ऐपवा के बैनर तले आयोजित हुआ कर्ज मुक्ति मार्च

बिहार में जगह-जगह लगातार हो रही बारिश भी कर्ज से त्रस्त महिलाओं की कर्ज मुक्ति के लिए उठी आवाज व कर्ज वसूली के विरोध के जज्बे को नहीं रोक पायी.

विदित हो कि माइक्रोफाइनेंस कंपनियों समेत तमाम कर्जों की मुक्ति के सवाल पर ऐपवा ने 13 अगस्त 2025 को पूरे राज्य में कर्ज मुक्ति मार्च निकालने की घोषणा की थी. ऐपवा की मुख्य मांगें थीं –

1. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के अत्याचार पर रोक लगाओ.

2. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के लिए नियामक संस्था बनाओ.

3. जीविका समूह की सभी महिलाओं को रोजगार दो.

4. माइक्रोफाइनेंस कंपनियों और महाजनों की मनमानी सूदखोरी और अत्याचार के कारण मारी गई महिलाओं व बच्चों को 20 लाख रुपए मुआवजा दो .

5. सहारा में जमा महिलाओं की बचत राशि का अभिलंब भुगतान करो.

6. हर पंचायत में सरकारी बैंक को खोलो और दो प्रतिशत सालाना ब्याज पर 2,00,000 रु. तक का कर्ज महिलाओं को उपलब्ध कराओ.

ऐपवा के बैनर तले महिलाओं ने जहानाबाद में कर्ज मुक्ति मार्च निकाला तथा अरवल मोड़ पर जाकर सभा आयोजित की. यह मार्च भाकपा(माले) के जहानाबाद जिला कार्यालय से निकल कर गया–पटना मुख्य मार्ग से होते हुए अरवल मोड़ पहुंचा. इस सैकड़ों महिलाएं हाथों में झंडा लिए अपनी मांगों के समर्थन में नारा लगा रही थी.

अरवल मोड़ पर सभा को ऐपवा की जिला सचिव रेणु देवी, जिला कमेटी सदस्य सोनफी देवी, महिला नेत्री संगीता देवी व मालो देवी ने संबोधित किया. कहा कि, 'महिलाएं माइक्रोफाइनेंस कंपनियों, महाजनी कर्ज एवं जीविका के माध्यम से कर्ज के जाल में फंस चुकी है. कई महिलाएं अपने दूध मुंहे बच्चों को बेच कर भी कर्ज की फांस से बाहर निकलने की कोशिश कर चुकी हैं. कई महिलाओं ने आत्महत्या कर ली, तो कईयों के बच्चे बच्चे भूख व कुपोषण से बिलबिला कर मर गए. जिले के धर्मपुर, गौरापुर, पिंजौरा आदि सहित सैकड़ों गांवों की महिलाएं उक्त कर्ज देनदारों व संस्थाओं के जाल में फंस गयीं और कर्ज वसूली के लिए उनके उत्पीड़न के भय से गांव से पलायन कर गयीं. दूसरी

तरफ वैसी महिलायें भी हैं जिनके पास जो कुछ थोड़ी-बहुत जमा-पूंजी थी, उसे सहारा इंडिया जैसे चिट फंड बैंकों के लोग लेकर फरार हो गये. सभा के माध्यम से महिलाओं ने सरकार से यह मांग की कि वह सभी महिलाओं को कर्ज से मुक्त कराए और पंचायत में सरकारी बैंक की शाखायें खोल कर दो प्रतिशत ब्याज पर दो लाख रुपए तक का कर्ज दे. सहारा इंडिया में जमा राशि का सरकार अपने स्तर से अविलंब भुगतान सुनिश्चित करे.

राज्य स्तरीय कर्ज मुक्ति मार्च के तहत समस्तीपुर में भराकपा(माले) जिला कार्यालय,से प्रतिरोध मार्च निकाला गया. पूर्णिया जिले के रूपौली में खादी भंडार प्रांगण से कर्ज मुक्ति मार्च निकाला गया, जो रुपौली बाजार होते हुए, थाना चौक पर पहुंचा. वहां एक सभा आयोजित की गई. मार्च का नेतृत्व ऐपवा नेत्रियों – सुलेखा देवी, सीता देव व संगीता देवी ने किया. दर्जनों महिलाओं ने इस मार्च में शिरकत की.

सभा को संबोधित करते हुए एपवा नेताओं ने कहा कि बिहार में गरीब और जरूरतमंद महिलाएं माइक्रोफाइनेंस संस्थानों व महाजनों, आदि से कर्ज लेती हैं, लेकिन यह उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने और उनको गरीबी से मुक्ति दिलाने के बजाय उनके गले की फांस बन जाता है. एक कम्पनी का कर्ज चुकाने के लिए उन्हें एक दूसरी कंपनी से कर्ज लेना पड़ता है.

बढ़ती मंहगाई, घटती आय, रोजगार का अभाव और घर की जरूरतों के कारण महिलाएं कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाती हैं. कर्ज की किस्त समय पर नहीं चुकाने की वजह से महिलाएं भारी मानसिक तनाव में रहती हैं और कंपनियों के द्वारा कई तरह से उत्पीड़न झेलने से विवश होकर आत्महत्या तथा पलायान का रास्ता चुन रही हैं. सरकार कंपनियों का उत्पीड़न रोकने में पूरी तरह से विफल है.

कर्ज मुक्ति मार्च के माध्यम से मांग किया गया कि सहायता समूह के सभी महिलाओं के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करे, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के अत्याचार पर रोक लगाए, जीविका समूह से जुड़ी कैडरों को मानदेय दे तथा सभी गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बिना ब्याज का कर्ज दे.

इस सवाल पर नवादा व गया,में भी ऐपवा के बैरर तले कर्ज मुथ्कत मार्च निकला गया. इससे पहले पिछले दिनों 23 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी अभियान चला कर ऐपवा के बैनर तले राजधानी पटना के आइएमए हॉल में कर्ज मुक्ति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था. ■

20 साल पुराने फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिए गए का. परमेश्वर महतो

भाकपा(माले) की झारखंड राज्य कमिटी के सदस्य व लोकप्रिय जननेता का. परमेश्वर महतो को एक पुराने फर्जी मुकदमें में जेल जाना पड़ा. भाकपा माले के वरिष्ठ नेता, राज्य कमिटी सदस्य और बगोदर प्रखंड के पार्टी सचिव परमेश्वर महतो ने 11 अगस्त को 20 साल पुराने फर्जी मुकदमें में गिरिडीह कोर्ट में आत्मसमर्पण किया जहां से उन्हें गिरिडीह जेल ले जाया गया.

का. परमेश्वर महतो को रिहा करो!
झूठा मुकदमा वापस लो!!

झूठे मुकदमे में जननेता परमेश्वर महतो को जेल भेजे जाने के खिलाफ 13 अगस्त 2025 (बुधवार) को ने बगोदर में भिाकपा(माले) वशाल प्रतिरोध मार्च निकाला.

इस प्रतिरोध मार्च में शामिल लोग 'परमेश्वर महतो को रिहा करो','हमारा संघर्ष जारी रहेगा','पुलिस-भाजपा गठजोड़ मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए सरिया रोड स्थित पार्टी कार्यालय से निकले और पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए बगोदर बस पड़ाव पहुंचे, जहां प्रतिरोध सभा आयोजित हुई. सभा को कार्यकारी सचिव प्रखंड सचिव संदीप जाण्सवाल समेत कई अन्य साथियों ने संबोधित किया

यह मुकदमा 16 जनवरी 2005 को झारखंड के जननायक और बगोदर के तात्कालीन एमएलए का. महेंद्र सिंह की साजिशपूर्ण हत्या (जब वे सरिया पश्चिमी इलाके के दुर्गी धवैया में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे) के बाद उभरे आम जनता के आक्रोश का नेतृत्व करने को लेकर दर्ज हुआ था जो भाजपा की तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार और गिरिडीह के बदनाम एसपी दीपक वर्मा के खिलाफ उमड़ पड़ा था. पार्टी और आम जनता की भारी सूझ-बूझ के कारण इतनी बड़ी हत्या के बावजूद भी लोगों ने कहीं आगजनी या रोड जाम तक नहीं किया था जबकि इसके खिलाफ बगोदर में पचासों हजार लोग जमा हुए थे और हत्यारों और इस हत्या के साजिशकर्ताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे. हजारों-हजार लोग जब महेंद्र सिंह की शहादत के शोक को संकल्प में बदलने संकल्प ले रहे थे तो गिरिडीह के बदनाम एसपी दीपक वर्मा और भाजपा सरकार को नहीं सहन हुआ और पार्टी नेता परमेश्वर महतो और अन्य लोगों पर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया गया. का. परमेश्वर महतो का नाम इस वजह

से भी प्रमुखता से दर्ज हुआ होगा कि वे का. महेंद्र सिंह के हत्या के बाद उनके साजिशकर्ताओं को बेनकाब करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर थाने में आवेदन देने गए थे. गिरिडीह एसपी और भाजपा सरकार के इशारे पर ही उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया था.

गौरतलब है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने, उनपर मुकदमा दर्ज करने और सजा दिलाने में कोई तत्परता नहीं दिखाती है, लेकिन आंदोलनकारियों के पीछे पड़ी रहती है.

और साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि का. महेंद्र सिंह की हत्या के 20 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई हत्यारों और इस हत्या की साजिश रचनेवालों को पकड़ कर सजा नहीं दे सकी है. ■

धनबाद में जन सवालों पर प्रदर्शन

13 अगस्त 2025 को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाकपा(माले) की धनबाद नगर कमिटी द्वारा निगम क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओ को लेकर प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराते हुए रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया.

धरना के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त, धनबाद के कार्यालय में जाकर 37-सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिसमें यथाशीघ्र समस्याओं का निबटारा कराने की मांग की गई. इनमें नगर निगम चुनाव अविलंब कराने, साफ-सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने, पूरे शहरी क्षेत्र में जर्जर सड़कों और नालियों का पुर्ननिर्माण कराने, पेयजल आपूर्ति को नियमित करने, गरीबों को आवास योजना का लाभ और निः शुल्क पानी कनेक्शन देने, 15 दिनो के अंदर जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत करने एवं हर वार्ड में स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण कराने की मांगें प्रमुखता से शामिल थीं.

भाकपा(माले) के केंद्रीय सदस्य का. निताई महतो व वरिष्ठ नेता का. हरि प्रसाद पप्पू ने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अपने संबोधन के दौरान कहा कि संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र मे तमाम व्यवस्था ध्वस्त है. इस वजह से जनता के अंदर मे आक्रोश व्याप्त है. धरातल पर निगम प्रशासन द्वारा की कोई ठोस योजना दिखाई नही दे रही है.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाकपा(माले) जिला सचिव का. बिंदा पासवान ने कहा कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से जनता की बुनियादी समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत कराया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम के सफाई कर्मियों की मांगें जायज हैं और प्रशासन को गंभीरता से विचार कर इसका समाधान करना चाहिए तथा सफाई कर्मियों को स्थाई रूप से बहाल करना चाहिए. अगर इस मांग पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार नही किया गया तो और भी व्यापक गोलबंदी कर निगम प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी.

कार्यक्रम का संचालन भाकपा(माले) के धनबाद नगर संयोजक का. विजय कुमार पासवान ने किया. कार्यक्रम में जिला सहसचिव कार्तिक प्रसाद, विजय कुमार पासवान, राणा चटराज, दिलीप राम, देवाशीष पासवान, लक्ष्मी पासवान, विश्वजीत राय, आदि नेता-कार्यकर्ता शामिल हुए. ■

खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया

11 अगस्त 2025 को भाकपा(माले) ने धनबाद के टेम्पल रोड स्थित पुराना बाजार कार्यालय में शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया.

सबसे पहले उपस्थित लोगों द्वारा उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण-पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धांजलि दी गई. कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भाकपा(माले) के वरिष्ठ नेता हरि प्रसाद पप्पू ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने वाले असंख्य क्रांतिकारियों की श्रृंखला में शहीद हुदीराम बोस एक चमकता हुआ सितारा हैं जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा क्रांति के पक्ष में दिशा बद्ध करने में प्रकाश स्तंभ का काम करेंग. आज के दौर में नई गुलामी और कारपोरेट लूट के विरुद्ध इंकलाब का नारा बुलंद करने वालों के लिए उनको याद करना बेहद जरूरी है. कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष प्रसाद सिंह व संचालन पवन महतो ने की..

कार्यक्रम में भाकपा(माले) राज्य कमिटी सदस्य आनंदमय पाल, सुभाष चटर्जी, सुभाष सिंह, पवन महतो, विश्वजीत राय, सुशांतो नायक, वैद प्रकाश सिंह, राज कुमार रवानी, प्रदीप गोराय, अनूप प्रसाद और सतेंद्र वर्मा, आदि समेत दर्जनों नेता-कार्यकर्ता शामिल थे. ■

पुलिस पिटाई से मौत मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो

लखनऊ, 14 अगस्त : भाकपा (माले) ने सीतापुर में सिधौली कोतवाली क्षेत्र के जाफरीपुरवा में अपनी परचून की दुकान के बाहर सो रहे दुकानदार युवक सत्यपाल यादव (26) की पुलिस पिटाई से मौत मामले में भंडिया चौकी प्रभारी सहित आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है.

भाकपा (माले) की राज्य इकाई ने बयान जारी कर कहा कि योगी की पुलिस निरंकुश हो गई है. कानून व्यवस्था रसातल में है, पर पुलिस को निर्दोषों की जान लेने की छूट है. मुख्यमंत्री विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट पर बहस करा रहे हैं, लेकिन उनके शासन में मुठभेड़ों, हत्याओं व सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करने का मौसम चल रहा है. उनकी पुलिस फतेहपुर में संरक्षित स्मारक (मकबरा व मजार) पर बवाल काटने व कानून हाथ में लेने वाले भगवा उपद्रवियों के सामने पुलिस नतमस्तक रहती है, मगर कमजोरों, गरीब-गुरबों और आम लोगों पर सारी ताकत दिहाती है. अपराधियों को उनका संरक्षण है. नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली पुलिस लोगों की जान ले रही है. क्या इसी विजन के साथ प्रदेश 2047 तक अव्वल बनेगा, या अगले 22 वर्षों तक राज करने का झांसा दिया जा रहा है? ■

15 अगस्त : अंबातूर, तमिलनाडु में सफाईकर्मियों का 'आजादी, लोकतंत्र, संविधान बचाओ अभियान'

हा है?

(अंतिम पृष्ठ का शेष अंश)

हैं, पिछले सात दशकों से चले आ रहे कश्मीरियों के संघर्ष से उपजे कैसे, क्या, कहाँ, क्यों, और कब जैसे सवालों के संतुलित जवाब देती हैं. राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में किए गए दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है जो इन 25 किताबों और हिंसा की कार्रवाइयों के बीच कोई संबंध दिखाए. आदेश में दावा किया गया है कि यह "जांच और खुफिया जानकारी" पर आधारित है, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया गया है. इसके अलावा, "सुरक्षा बलों की निंदा" जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. यह आदेश पूरी तरह से मनमाना, गैरकानूनी, और असंवैधानिक है.

यह प्रतिबंध असल में कश्मीर से जुड़ी रिसर्च और पढ़ाई-लिखाई को अपराध बना देता है, खासकर उन विषयों का जो प्रतिरोध और आत्मनिर्णय की बात करते हैं. यह कश्मीर में असहमति और आलोचना को कुचलने की 2019 से चल रही बड़ी साजिश का हिस्सा है. जब मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था, तब से अब तक 12 संगठनों पर पाबंदी लग चुकी है –जिनमें जमात-ए-इस्लामी और मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल हैं. ये संगठन दशकों तक खुलेआम काम करते रहे, लेकिन अब इन्हें यूएपीए कानून के तहत बैन कर दिया गया है, इनके कई नेताओं-कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिल्ली, जम्मू और जम्मू-कश्मीर की यूएपीए विशेष अदालतों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में देश में सबसे ज्यादा यूएपीए मामले हैं – 2020 से 2022 के बीच 947 केस दर्ज हुए.

कश्मीर बार एसोसिएशन को खत्म कर दिया गया और उसके सदस्यों को गिरफ्तार कर मुकदमे चलाए गए. मानवाधिकार संगठनों जैसे 'एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसएपियरड पर्सन्स' और 'जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी' को भी निशाना बनाया गया, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, मुकदमे थोपे गए और उनके काम को – जैसे मानवाधिकार रिपोर्ट तैयार करना, अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल करना, और सिविल सोसाइटी की पहलकदमियां – सबको अपराध घोषित कर दिया गया. स्वतंत्र पत्रकारों और अखबारों को डराया-धमकाया गया, गिरफ्तार किया गया, और कई को बंद करने पर मजबूर किया गया. बैन संगठनों या गैर-सरकारी हथियारबंद समूहों के परिवारजनों से किसी भी तरह का रिश्ता रहने वालों को अपराधी ठहराया गया, और उनकी नौकरियों व संपत्तियों पर कार्रवाई की गई.

अनुराधा भसीन, जिनकी किताब **"ए डिसमैंटल्ड स्टेट: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370"** अब बैन है और जो 'कश्मीर टाइम्स' की संपादक हैं, के मुताबिक ये सरकार की घबराहट का नतीजा है. बैन की गई किताबों की लिस्ट का हवाला देते हुए वे अपने फेसबुक पोस्ट में लिखती हैं: "ये किताबें अच्छी तरह रिसर्च की गई हैं और इनमें से एक भी किताब आतंकवाद की तारीफ नहीं करती, जबकि यही सरकार दावा करती है कि उसने आतंकवाद खत्म कर दिया है. इन्हें सच्चाई को चुनौती देने वाले शब्दों से डर लगता है. मैं इस प्रतिबंध को, जो एक गिर चुकी सोच की बेहूदा निशानी है, चुनौती देती हूं – साबित करो कि इनमें एक भी ऐसा शब्द है जो आतंकवाद की तारीफ करता हो. जो लोग सच्चाई की कद्र करते हैं, वो इन्हें पढ़ें और खुद फैसला करें."

प्रतिबंधित किताबों की सूची में भारतीय संवैधानिक विशेषज्ञ और जाने-माने बुद्धिजीवी ए.जी. नूरानी की मशहूर किताब **"द कश्मीर डिस्प्यूट"** भी शामिल है. वे आजादी के बाद कश्मीर के इतिहास के सबसे भरोसेमंद स्कॉलर और जानकार माने जाते हैं. उनका किया गया काम किसी भी देश के लिए फख्र की बात होनी चाहिए, लेकिन उनकी किताब तक पहुंच रोककर हमारी नौजवान पीढ़ी को ऐसे रास्ते पर धकेला जा रहा है जहां कघ्नूनी तर्क और सभ्य बहस की कोई अहमियत नहीं रह जाती.

हफ्सा कंजवाल की अब बैन की गई किताब **"कोलोनाइजिंग कश्मीर: स्टेट बिल्डिंग अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन"** कश्मीर के संघर्ष की जड़ों की पड़ताल करती है. कंजवाल ने विभाजन के बाद के कश्मीर के इतिहास को खंगाला है, यह देखते हुए कि रोजमर्रा की जिंदगी, सांस्कृतिक औजार, और आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल इस इलाके पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए किया गया. उनकी किताब ये सवाल उठाती है कि राज्य कैसे बनाए जाते हैं – सिर्फ जबरदस्ती से नहीं – और कैसे संप्रभुता को सहमति के बजाय गढ़ा भी जा सकता है.

एक और लेखिका, आतिर जिया, की किताब **"रेजिस्टिंग डिसएपियरेंस"** भी अब कश्मीर में बैन है. यह किताब कश्मीर में एसोसिएशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ डिसएपियर्ड पर्सन्स (एपीडीपी) के साथ जिया के दस साल के जुड़ाव पर आधारित एक अध्ययन है जो उन माताओं, जिनके बेटे और वैसी विधवाओं, जिनके पति लापता हैं, की कहानी बताती है, जो अपने गायब हुए प्रियजनों को तलाशती हैं और सरकार की जबरन गुमशुदगी की नीतियों को चुनौती देती हैं.

किताबों, विचारों, नैरेटिव और दस्तावेजी कोशिशों पर पाबंदी की मुखालफत होनी चाहिए, और अदालतों के पास ये ताकत है कि अब तक के संविधानिक फैसलों के आधार पर ऐसे आदेश रद्द कर दें – चाहे बात किताबों की हो या अभिव्यक्ति की. यह सरकारी कार्रवाई पूरी तरह से गैरकानूनी है, और इसकी अहमियत सिर्फ किताबों पर पाबंदी तक सीमित नहीं. यह न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों की रोजमर्रा की आजादियों पर राज्य के नियंत्रण को जारी रहती है, बल्कि यह और आगे बढ़कर इस कोशिश का हिस्सा है कि वहां के अच्छी तरह दर्ज दस्तावेजी इतिहास, आत्मनिर्णय के लिए राजनीतिक आंदोलन, हिंसा और सैन्यीकरण और इससे उपजे सवालों पर किसी तरह की चर्चा करने, दस्तावेजीकरण करने, समर्थन करने और विश्लेषण करने को अपराध करार कर दिया जाए. यह सरकार की एक और कोशिश है यह सुनिश्चित करने के लिए कि हथियारबंद संघर्ष के इलाकों को किसी भी किस्म की जांच -पड़ताल से दूर रखा जाए, और सच को छुपाने के लिए हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद का नाम लिया जाए.

यह सिर्फ कश्मीरी जनता के अधिकारों का लगातार छीना जाना नहीं बल्कि हर हिन्दुस्तानी के हकों और बोलने की आजादी पर हमला है, क्योंकि आज कश्मीर सबसे दमनकारी नीतियों और कठोर कानूनों के लिए एक प्रयोगशाला बना हुआ है, जहां पहले इन्हें आजमाया जाता है और फिर देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाता है. इसका हम सबको एकजुट होकर विरोध करना होगा. **– मनमोहन**

SAMKALEEN LOKYUDDH समकालीन लोकयुद्ध, खंड - 34, अंक 23, 16 - 22 अगस्त 2025

R.N.I. NO.52394/91
Registered by SSPOs
REGD. P.T.16/2006
VALID UPTO 2026
पोस्टेज का दिन : सोमवार

वितरित न हो तो कृपया इस पते पर वापस भेजें :
समकालीन लोकयुद्ध
चंद्रशेखर स्मृति भवन, जगतनारायण रोड
पटना – 800 003

प्रति

किताबबंदी : कश्मीरी जनता के हक, पहचान, और इतिहास पर एक और हमला

5 अगस्त 2025 को आर्टिकल 370 को हटाने, कश्मीर का खास दर्जा छीनने और उसे यूनियन टेरिटरी में बदलने के 6 साल पूरे हो गए. यह दिन कश्मीर के बाशिंदों के लिए एक दर्दनाक याद बन चुका है कि कैसे भाजपा की मोदी सरकार ने उनके और हिन्दुस्तान के रिश्ते को एकतरफा फरमान जारी कर तोड़ दिया, कश्मीरियों की राय के खिलाफ संवैधानिक तौर पर बदलाव किया गया. और इस साल, इसी दिन इस किताबबंदी का ऐलान किया गया. किताबों को बैन करना फासिस्ट सत्ता की पहचान है, जो सच से और जनता के सवाल करने की ताकत से डरता है.

राज्य के गृह विभाग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया – "तहकीकात और भरोसेमंद खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि चिन्हित किताबों ने नौजवानों को गुमराह करने, आतंकवाद की महिमा गाने और भारतीय राज्य के खिलाफ हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई है."

मगर नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया कि इन किताबों का मूल्यांकन कैसे या कब किया गया, जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में शामिल हैं और अकादमिक व पॉलिसी हलकों में खूब पढ़ीं और कोट की जाती हैं. यह भी स्पष्ट नहीं है कि लेखकों या प्रकाशकों को जवाब देने का मौका दिया गया या नहीं.

बैन 25 किताबों की सूची है:

1. ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस इन कश्मीर – पियोत्र बाल्सेरोविच और अग्निजका कुजेव्स्का (राउटलज/मनोहर)
2. कश्मीर'स फाइट फॉर फ्रीडम – मोहम्मद यूसुफ सराफ (फिरोज संस, पाकिस्तान)
3. कोलोनाइजिंग कश्मीर – हफसा कंजवाल
4. कश्मीर पॉलिटिक्स एंड प्लेबिसाइट – डॉक्टर अब्दुल जब्बार (गुलशन बुक्स, कश्मीर)
5. डू यू रिमेंबर कुनन पोशपोरा? – इस्सार बतूल व दूसरे (जुबान बुक्स)
6. मुजाहिद की अजान – सम्पादक मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी (मरकजी मकतबा इस्लामी, दिल्ली)
7. अल जिहादुल फिल इस्लाम – मौलाना मौदूदी (दारुल मुसन्निफीन, दिल्ली)
8. इंडिपेंडेंट कश्मीर – क्रिस्टोफर स्नेडन (मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस/सैंक्टम बुक्स, दिल्ली)
9. रेजिस्टिंग ऑक्युपेशन इन कश्मीर – हेली दुशिन्स्की, आथर जिया, मोना भान और सिंथिया महमूद (यू-पेन प्रेस)
10. बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन: जेंडर एंड मिलिटराइजेशन इन कश्मीर – सीमा काजी (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस)
11. कॉन्टेस्टेड लैंड्स – सुमंत्र बोस
12. इन सर्च ऑफ अ फ्यूचर: द स्टोरी ऑफ कश्मीर – डेविड देवदास
13. कश्मीर इन कॉन्फ्लिक्ट – विक्टोरिया स्कोफील्ड
14. द कश्मीर डिस्प्यूट (1947-2012) – ए. जी. नूरानी
15. कश्मीर ऐट द क्रॉसरोड्स – सुमंत्र बोस
16. अ डिस्मेंटल्ड स्टेट – अनुराधा भसीन (हार्पर कॉलिन्स इंडिया)
17. रेजिस्टिंग डिसअपीयरेंस – आथर जिया (जुबान बुक्स)
18. कॉनफ्रंटिंग टेररिज्म – सम्पादक मारूफ रजा और स्टीफन कोहेन (पेंगुइन इंडिया)
19. फ्रीडम इन कैप्टिविटी – राधिका गुप्ता (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस)
20. कश्मीर: द केस फॉर फ्रीडम – तारिक अली, हिलाल भट्ट, अंगना पी. चटर्जी, पंकज मिश्रा और अरुंधति रॉय (वर्सो बुक्स)
21. आजादी – अरुंधति रॉय (पेंगुइन इंडिया)
22. यूएसए एंड कश्मीर – डॉक्टर शमशाद शान (गुलशन बुक्स)
23. लॉ एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कश्मीर – पियोत्र बाल्सेरोविच और अग्निजका कुजेव्स्का (राउटलज/मनोहर)
24. तारीख-ए-सियासत कश्मीर – डॉक्टर अफाक (कारवां-ए-तहकीक-ओ-सकाफत कश्मीर)
25. कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया – सम्पादक सुगत बोस और आयशा जलाल (राउटलज/मनोहर)

किताबों को बैन करने का ये ताजा कदम, कश्मीरी पहचान और उसके इतिहास पर एक और हमला है. यह दर्शाता है कि 1947 से भारत ने कश्मीर पर जिस बेलगाम तरीके से नियंत्रण हासिल किया है, उसमें गहरी असुरक्षा है. सरकार का मकसद साफ है – हर खबर और सूचनाओं पर पूरा नियंत्रण.

इस किताबबंदी में जिस कानून का इस्तेमाल हुआ है, वो बीएनएसएस की दफा 98 है जो असल में पुराने सीआरपीसी की दफा 95 की नकल है. इस कानून के तहत सरकार भारत में कहीं भी ऐसी किताबों की प्रतियां जब्त कर सकती है, जिन्हें वह गैरकानूनी या आपत्तिजनक मानती है. बीएनएसएस की दफा 98 तब लग सकती है जब सरकार को लगे कि इसमें पुराने कानून के वो हिस्से लागू होते हैं जो आज भी वैसे के वैसे हैं – सिवाय बीएनएसएस की दफा 152 के, जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है. दफा 152 बीएनएसएस एक नया सेक्शन है, जिसके तहत कोई भी ऐसा कार्य, जैसे लिखे या बोले गए शब्द, जो देश से अलग होने की बात को बढ़ावा दें, सशस्त्र विद्रोह या गैरकानूनी गतिविधियों को उकसाएं, और भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरे में डालें, वह अपराध है. यह दफा पुराने देशद्रोह कानून (आईपीसी 124-ए) से मिलती-जुलती है, लेकिन और कठोर है. यह यूएपीए कानून की दफा 2(ओ) से भी जुड़ी है, जो गैरकघनूनी गतिविधियों को परिभाषित करती है. यूएपीए के तहत ऐसी गतिविधियों के लिए सात साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन बीएनएसएस की दफा 152 के तहत उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.

यह साफ तौर से जाहिर है कि अब शब्दों को अपराध करार दिया गया है. इन किताबों को बैन करने के लिए किसी खास वाक्य, पैरा, पेज, या चैप्टर को आधार नहीं बनाया गया है. इसका मतलब है कि किताबों को, उनके शब्दों और मायने सहित, बैन कर दिया गया है. सिर्फ किताब रद्दना, बेचना, पब्लिश करना वगैरह ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में अगर कोई तकरीर, प्रोग्राम, किताब, आर्टिकल, बहस या ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट इन किताबों के शब्दों, घटनाओं, दलीलों या विवरण से मिलती-जुलती हुई, तो वो भी अपराध मानी जाएगी, यानि हमें पहले से ही चेतावनी दे दी गयी है.

दुनिया भर के विशेषज्ञों का कहना है कि ये किताबें, जो कश्मीरी, भारतीय, और अंतरराष्ट्रीय लेद्दकों द्वारा लिद्दी गई

(शेष पिछले पृष्ठ पर)

समकालीन
लोकयुद्ध

संपादक
संतोष सहर
फोन : 09334022059

संपादक मंडल
प्रदीप झा, मीना तिवारी, पुरुषोत्तम शर्मा, इंद्रेश मैखुरी, कुमार परवेज, देवकीनंदन बेदिया, मनमोहन कुमार

संवाददाता
कुमार दिव्यम (बिहार), नन्दिता भट्टाचार्य (झारखंड), अरुण कुमार (उत्तर प्रदेश), गिरिजा पाठक (दिल्ली), कैलाश पांडेय (उत्तराखंड), बृजेन्द्र तिवारी (छत्तीसगढ़)

प्रबंध सम्पादक
संतलाल
फोन : 09835298376

कार्यालय
चंद्रशेखर स्मृति भवन, जगत नारायण रोड,
कदम कुआं, पटना - 800 003
ई-मेल - samkaleen.lokyuddh@gmail.com
एक प्रति : पांच रुपये, वार्षिक : 200 रुपये

रामजतन शर्मा द्वारा सीपीआई(एमएल) के लिए चंद्रशेखर स्मृति भवन, जगत नारायण रोड, कदम कुआं, पटना-3 से प्रकाशित एवं जय महावीर ऑफसेट प्रिंटर्स, भिखना पहाड़ी, पटना-4 से मुद्रित